ग्राम पंचायत कर्मपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कर्मपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कर्मपुर में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दिलवाग राम	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुभाष चन्द	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कर्मपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	16.18
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.49
3)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	11.24
4)	8.2	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना भुगतान	5.92
5)	8.3	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	0.44
6)	8.4	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.37
7)	8.5, 8.6, 8.7 व 8.8	मनरेगा शीर्ष से अधिक भुगतान करना	0.25

भाग-2

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

ग्राम पंचायत कर्मपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.10.2024 से 24.10.2024 तक ग्राम पंचायत कर्मपुर के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	07/2023	07/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत कर्मपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 874/2024 दिनांक 24/10/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत कर्मपुर द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित हरोली के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 294045 दिनांक 30/10/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत कर्मपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 856/2024 दिनांक 18/10/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सात रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS & Offline, 15वां वित्तायोग Online, इंदिरा आवास योजना Offline,14वां वित्तायोग Offline, एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना (अंशदान) Offline व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	2628390.10	5408785.3	8037175.40	5838157.30	2199018.10
2	2023-24	2199018.1	4498730.18	6697748.28	5080064.28	1617684.00

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कर्मपुर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **शून्य** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा **4(क)** का अंतशेष	1617684.00
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**1617684.00**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	0.00
4)	**योग (2+3)**	**1617684.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**0.00**

ग) स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क"(स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन तीन बैंक खातों द्वारा समेकित रूप से किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 856/2024 दिनांक 18/10/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 07 दिनांक 24/10/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार

सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹16.18 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 856/2024 दिनांक 18/10/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹1617684.00** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 856/2024 दिनांक 18/10/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 07 दिनांक 24/10/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 856/2024 दिनांक 18/10/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 07 दिनांक 24/10/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.49 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 856/2024 दिनांक 18/10/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 07 दिनांक 24/10/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹49170 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	129460	16920	146380	00	146380
2023-24	146380	17400	163780	114610	49170

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹6400** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	2800
2	2023-24	3600
	योग	**6400**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 862/2024 दिनांक 21/10/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹1200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
1	2022-23	200
2	2023-24	1000
	योग	**1200**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 863/2024 दिनांक 21/10/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके निधि लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसे राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹11.24 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट**

"**घ**" अनुसार कुल **₹1123519** की सामग्री में से **₹75188** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था तथा शेष **₹1048331** (1123519-75188) की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 866/2024 दिनांक 23/10/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹5.92 लाख का अनियमित भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "ड." पर** उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹591564.50** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 870/2024 दिनांक 23/10/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹591564.50** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.3 ₹0.44 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 में **₹43735** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 869/2024 दिनांक 23/10/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू

कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	दिनांक	विवरण	राशि(18% GST सहित) (₹)
1	मनरेगा	354	12.03.22	3500 पेवर / ब्लॉक्स @ 12.496 प्रति पेवर / ब्लॉक्स	43735
				योग	**43735**

8.4 स्त्रोत पर ₹0.37 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1858694** (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹37173.88** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	चौधरी ट्रेडर्स गांव कर्मपुर	रेत, बजरी	549133	549133	10982.66 (2% x 549133)
2	2022-23	ओम इंडस्ट्रीज गांव छतरपुर ढाडा	RCC pipes	294750	294750	5895.00 (2% x 294750)
3	2023-24	M/s गगन एंड ब्रदर्स गांव घालुवाल	सरिया	1014811	1014811	20296.22 (2% x 1014811)
				योग	**1858694**	**37173.88**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 873/2024 दिनांक 24/10/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹37173.88** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.5 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.18 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 05/2022 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए **निम्नानुसार** निर्माण कार्य के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री (RCC Pipe) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री अधिक जारी की गई थी तथा शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर

में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न विवरनानुसार** सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹17700** का अधिक भुगतान किया गया था |

क) कार्य का नाम :- C/O Nalla From H/o Shakti Chand To H/O Narinder pal

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	Assessed Qty. (Running Meter)
19568 28 to 29	P/L RCC Pipes 900MM Dia	15
	योग	**15**
	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 57 अनुसार जारी / खपत मात्रा	**20**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री	**5**
	क्रय दर	**3540 (Per Running meter)**
	अधिक भुगतान (5×3540)	**17700**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 867/2024 दिनांक 23/10/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान **₹17700** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

8.6 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 05/2022 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि **निम्न विवरणानुसार** मनरेगा मद के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतू प्रयोग की गई निर्माण सामग्री पेवर / ब्लॉक्स 60MM के क्रय हेतु व्यय निविदायें आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें मनसा माता इंडस्ट्रीज बाथू से 60MM पेवर / ब्लॉक्स के क्रय हेतु **₹11.21** (जी.एस.टी. सहित) प्रति पेवर ब्लॉक्स की दर से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त फर्म को

₹12.49 प्रति पेवर ब्लॉक्स की दर से अर्थात् **₹1.28** प्रति पेवर /ब्लॉक्स की दर से अधिक भुगतान किया गया | इस प्रकार उक्त फर्म को **निम्न विवरणानुसार ₹4480** का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 868/2024 दिनांक 23/10/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि **₹4480** की वसूली करके मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 दिनांक 24.10.2024 को जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि कर ली गई है |

1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5×8)
क्रम संख्या	**मद का नाम**	**बिल संख्या**	**माह**	**मात्रा**	**भुगतान योग्य दर (₹) प्रति पेवर / ब्लॉक्स (जी.एस.टी. सहित)**	**भुगतान की गई दर (₹) प्रति पेवर /ब्लॉक्स (जी.एस.टी. सहित)**	**अन्तर**	**अधिक भुगतान की गई राशि (₹)**
1	मनरेगा	354	12.03.22	3500	12.49	11.21	1.28	4480
							योग	**4480**

8.7 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost** परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए **निम्न विवरणानुसार** सामग्री के रूप में **₹1577** का अधिक भुगतान किया गया था | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 864/2024 दिनांक 22/10/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि **₹1577** की वसूली करके मनरेगा खाता संख्या

4193000100031015 दिनांक 24.10.2024 को जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि कर ली गई है |

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	लाभार्थी को भुगतान राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि (₹)
1	भूमि सुधार व पौधारोपण गुलशन पुत्र देस राज	(मस्ट्रोल संख्या 567, 699, 902 व 903) (24640+2912+18592+ 2464= 48608 × 2/3 = 32405.33)	33981.52	32405.33	1576.19
				योग	**1576.19**

8.8 मनरेगा शीर्ष से ₹0.01 लाख का मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 05/2022 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य C/O Nala Shakti Chand Ke Ghar Se Narinder Pal Ke Ghar Tak हेतु प्रयोग किए गए मस्ट्रोल संख्या 6199 व 34968 द्वारा ₹23345 व ₹15184 **कुल ₹38529** का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया, जबकि उक्त मस्ट्रोलों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 29787 के पृष्ठ संख्या 6 से 7 पर **₹37588** का किया गया अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा **₹941** (38529-37588) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 865/2024 दिनांक 22/10/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि **₹941** की वसूली करके मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 दिनांक 24/10/2024 को जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि कर ली गई है |

9 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण दौरान पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक

उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 872/2024 दिनांक 24/10/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09 दिनांक 24/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	15th FC	029 15.07.22	Sand, Agg.	21829
2	15th FC	037 29.08.22	Sand, Agg.	9779
3	15th FC	3251 10.08.22	Steel	13188
4	15th FC	1199 01.12.22	Tiles	11274
5	15th FC	01 05.08.22	Mixture, Shuttering	8500

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 857/2024 दिनांक 18/10/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 08 दिनांक 24/10/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकलना	--	7 (2 व 3)

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 856/2024 दिनांक 18/10/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 07 दिनांक 24/10/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

O/c

272-276 13 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)116/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत कर्मपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

O/c

परिशिष्ट "क"   पैरा संख्या 4 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत कर्मपुर, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2628390.10	5408785.3	8037175.40	5838157.30	2199018.10
2	2023-24	2199018.1	4498730.18	6697748.28	5080064.28	1617684.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karampur
Block Haroli, Tehsil Haroli
Distt. Una (H.P.)

ग्राम पंचायत कर्मपुर, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	971580	1448149	2419729	1912104	507625
2	2023-24	507625	1910434	2418059	1411529	1006530

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS & GIA Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.4.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	470266	470266	470266	0
2	2023-24	0	36016	36016	36000	16

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1311270	1222014	2533284	1042172	1491112
2	2023-24	1491112	237031	1728143	1312088	416055

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	2259374.3	2259374.3	2259374.3	0
2	2023-24	0	2309706.18	2309706.18	2309706.18	0

IAY (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	10112.00	289	10401	0.00	10401
2	2023-24	10401	168	10569	10559	10

-20-

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karampur
Block Haroli, Tehsil Haroli
Distt. Una (H.P.)

14वां वित्तायोग (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	150597.10	3644	154241.1	154241.00	0.1
2	2023-24	0.1	182	182.1	182.1	0.00

एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना (अंशदान) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	184831	5049	189880	0.00	189880
2	2023-24	189880	5193	195073	0	195073

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karam...
Block Haroli, Tehsil Haroli
Distt. Una (H.P.)

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	1617684.00
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**1617684.00**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	0.00
4)	**योग (2+3)**	**1617684.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**0.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karampur
Block Haroli, Tehsil Haroli
Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या 4 (ख) में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	IndusInd Bank Una (Own & GIA)	100206137538	94722.00
	KCCB HAROLI (Own & GIA)	20048032959	171538.00
	KCCB HAROLI (Own & GIA)	20048032937	740270.00
	HDFC TAHLIWAL (SBM)	50100501000885	16.00
	CBI HAROLI (15TH FC)	3840777126	416055.00
	KCCB HAROLI (IAY)	20048037282	10.00
	CBI HAROLI (14TH FC)	3672295861	0.00
	PNB TAHLIWAL (IWMP CONTRIBUTION SHARE)	2660000101028516	195073.00
		योग	**1617684.00**
2		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	0.00
		योग (1+2)	**1617684.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karampur
Block Haroli, Tehsil Haroli
Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कर्मपुर, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक **01.04.2022** से **31.03.2024** तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	129460	16920	146380	00	146380
2023-24	146380	17400	163780	114610	49170

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karmpur
Block Haroli, Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट 'ग' पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत कर्मपुर

विकास खण्ड हरोली जिला ऊना

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEAR 2022-2023							
कमाक सख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली शेष राशि
1	LUCKY	07.02.2022	5.03.2022	353050	200	200	0
2	SANJEEV KUMAR	05.02.2022	5.03.2022	353051	200	200	0
3	ARUNVIR SINGH	13.03.2022	27.03.2022	353052	200	200	0
4	RAJAT	03..4.2022	19.042022	353053	200	200	0
5	HANINDER SINGH	03.05.2022	20.052022	353054	200	200	0
6	SHIV KUMAR	12.05.2022	21.05.2022	353055	200	200	0
7	NARYAN DASS	11.05.2022	25.05.2022	353056	200	200	0
8	ROHIT KUMAR	18.05.2022	3.06.2022	353057	200	200	0
9	AKSHAY AMANJEET	10.06.2022	24.06.2022	353058	200	200	0
10	AJEET SINGH	03.08.2022	02.09.2022	353059	200	200	0
11	SAHIL	25.102021	30.9.2022	353060	400	200	200
12	RIMPI	02.12.2022	15.12.2022	353061	200	200	0
13	VIPAN KUMAR	07.12.2022	19.122022	353062	200	200	0
14	HARDAYAL SINGH	04.12.2022	29.12.2022	353063	200	200	0
				TOTAL	3000	2800	200

कार्यालय ग्राम पंचायत कर्मपुर

विकास खण्ड हरोली जिला ऊना

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEAR 2023-2024							
कमाक सख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली शेष राशि
1	GURPREET	28.01.2023	10.02.2023	353064	200	200	0
2	NAVEEN SHARMA	06.02.2023	16.02.2023	353065	200	200	0
3	SAHIL	07.02.2023	02.03.2023	353066	200	200	0
4	BALWINDER SINGH	23.02.2023	11.04.2023	353067	400	200	200
5	DHARMVEER	23.02.2023	11.04.2023	353068	400	200	200
6	MUKESH SAINI	22.05.2023	07.06.2023	353069	200	200	0
7	NEERAJ KUMAR	03.05.2023	07.06.2023	353071	400	200	200
8	SUMIT KUMAR	10.1.2023	26.10.2023	534539	400	400	0
9	SATNAM SINGH	19.11.2023	6.12.2023	353073	200	200	0
10	JASWINDER SINGH	27.11.2023	6.12.2023	353074	200	200	0
11	VISHAL	19.102023	6.12.2023	353075	400	200	200
12	BALJINDER SINGH	08.12.2023	19.12.2023	353076	200	200	0
13	VISHAL	29.10.2023	25.12.2023	303577	400	200	200
14	SETHI	20.01.2024	02.02.2024	353078	200	200	0
15	ANKUR SHARMA	20.01.2024	02.02.2024	353079	200	200	0
16	SANDEEP SAINI	06.02.2024	17.02.2024	353083	200	200	0
17	AMANDEEP	12.02.2024	19.02.2024	353095	200	200	0
			TOTAL		4600	3600	1000

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karmpur
Block Haroli, Distt. Una (H.P)

परिशिष्ट 'ज'   पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	05/22	शून्य 08.04.22	शिव कुमार गांव कर्मपुर	चायपान	12100	
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	05/22	103 20.03.22	Jatinder Pal VPO Rora	Shutering & Mixture	22000	
3	15th FC	05/22	515 02.04.22	Radha Krishan Hardware Store & Sanitary Karampur	PVC Pipes	15990	
4	मनरेगा	05/22	087 15.12.21	Thakur trading Co. Palkwah	Shutering	11598	--
5	मनरेगा	05/22	01 03.01.22	Choudhary Traders Palkwah	Shutering, Mixture	13500	
6	15th fc	07/23	1436 to 1440 10.07.23, 12.07.23	M/S Gagan & Brothers Vill. Ghaluwal	Steel Pipes	240977	मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित की गई थी, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार द्वारा किया जाना वांछित था।
7	मनरेगा	05/22	314 to 317 17.05.22	Om Industries Santokhgarh	RCC Pipes	141600	यथोपरि
8	मनरेगा	05/22	375 to 379 02.03.22, 10.03.22	Om Industries Santokhgarh	RCC Pipes	206205	यथोपरि
9	मनरेगा	07/23	1441 to	M/s Gagan &	Steel	459549	यथोपरि

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karampur
Block Haroli, Distt. Una (H.P.)

			1450 07.07.23, 10.07.23	Brothers Ghaluwal	Angles		
					योग	**1123519**	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karmpur
Block Haroli, Distt. Una (H.P)

M-II

परिशिष्ट 'ड' पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत कर्मपुर

विकास खण्ड हरोली जिला ऊना हि० प्र०

अकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान रेत, बजरी, गटका व पत्थर क्रय करने की सूचि

क्र०स०	योजना	वाउचर स०/माह	कार्य का नाम	बिल स०/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि
1.	MGNREGA	00 03/2022	नि. मोक्ष धाम वार्ड न. 06	639/ 01/03/2022	कर्मभूमि माईन्स	गटका रेत	7350
2.	MGNREGA	34/ 10/2021	नि नाला शक्ति चंद . घर से नरिंद्र पाल के घर तक	101/ 25/10/2021	ठाकुर ट्रेडिंग कम्पनी	बजरी	7350
3.	MGNREGA	35/ 10/2021	नि नाला शक्ति चंद . घर से नरिंद्र पाल के घर तक	102/ 25/10/2021	ठाकुर ट्रेडिंग कम्पनी	बजरी	7350
4.	MGNREGA	00/ 01/2022	नि नाला शक्ति चंद . घर से नरिंद्र पाल के घर तक	634/ 02/01/2022	कर्मभूमि माईन्स	गटका	22312.5
5.	MGNREGA	52/ 11/2021	नि. रास्ता मोहन के घर से सरदारी के घर तक	106/ 22/11/2021	ठाकुर ट्रेडिंग कम्पनी	बजरी	7350
6.	MGNREGA	51/ 11/2021	नि. रास्ता मोहन के घर से सरदारी ले घर तक	630/ 21/11/2022	कर्मभूमि माईन्स	गटका रेत	15487.5
7.	MGNREGA	00/ 01/2022	नि. रास्ता मोहन के घर से सरदारी ले घर तक	637/ 03/01/2022	कर्मभूमि माईन्स	गटका रेत	4567.5
8.	सभा निधि	04/ 7/22	निर्माण सीमेंट स्टोर	30/ 15.07.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी गटका	5203
9.	SDP	83/ 11/22	निर्माण शमशान घाट वार्ड न 4/5	41 01.11.2022	चौधरी ट्रेडर	बजरी रेत	6000
10.	SDP	91/ 02/23	निर्माण समुदायक शेड नजदीक शमशान घाट वार्ड न 4/5	46 12.02.2023	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी	2654
11.	SDP	40 08/22	निर्माण गली दविंदर के घर से गुरनाम के घर तक	31. 05.06.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी गटका रेत क्रेशर	30288
12.	VKVNY	94 03/23	निर्माण समुदायक शौचालय नजदीक पंचायत घर	44 15.09.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी	3492
13.	MMGPY	14. 6/22	निर्माण गली अमर सिंह के घर से जोग राज क्र घर तक	24 05.05.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी गटका	34054
14.	MMGPY	23.7/22	निर्माण गली अमर सिंह	26 02.06.2022	चौधरी	रेत बजरी	6077

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karmpur
Block Haroli, Distt. Una (H.P.)

			के घर से जोग राज के घर तक		ट्रेडर	गटका	
15.	Relief	42 09/22	रिपेयर गली जठेरे पालकबाह से मनसा राम के घर तक	35 05.08.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी गटका	29758
16.	Relief	101 3/23	रिपेयर गली नसीव चन्द के घर से स्वां तक	45 26.01.2023	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी गटका रेत क्रेशर	26869
17.	15th FC	11 7/22	नि०मोक्सधाम वार्ड न 2	28. 18.07.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी गटका	8731
18.	15th FC	01 03/22	निर्माण नाला शक्ति के घर से नरिंदर के घर तक	640 01.04.2022	कर्मभूमि	रेत	21000
19.	15th FC	02 03/22	निर्माण नालीय वार्ड न 1से 7 तक	110 12.04.2022	ठाकुर ट्रेडर C.o	बजरी	13585
20.	15th FC	6 04/22	निर्माण नालीय वार्ड न 1से 7 तक	641 18.04.2022	कर्मभूमि	रेत	9235
21.	15th FC	18 07/22	निर्माण गली अमर सिंह के घर से जोग राज के घर तक	29 15.07.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी गटका	21829
22.	15th FC	23 07/22	निर्माण गली अमर सिंह के घर से जोग राज के घर तक	033 16.08.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी	4471
23.	15th FC	29 08/22	निर्माण गली गली लिंक रोड से प्रीतम चन्द के घर तक	36 02.09.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी गटका रेत क्रेशर	15615
24.	15th FC	41 10/22	नि० शौचालय व बाथरूम वार्ड न० नजदीक शिव मंदिर	037 29.08.2022	चौधरी ट्रेडर	बजरी, रेत ,	9779
25.	15th FC	46 12/22	पेय जल व्याबस्ता वार्ड न 1 से 7	38 05.08.2022	चौधरी ट्रेडर	बजरी, रेत , गटका	7020
26.	15th FC	52 01/23	नि०मोक्सधाम वार्ड न 2	43 20.12.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत , गटका	5208
27.	15th FC	58 03/23	नि नाला शक्ति चन्द के घर से नरिंदर के घर तक	48 02.01.2023	चौधरी ट्रेडर	बजरी, रेत , गटका	39923
28.	SBM	10 12/23	नि नाला खडबाल मो० से सरदारी के घर तक	39 02.09.2022	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी	15926
29.	MGNREGA	81/ 02/2022	नि. मोक्ष धाम वार्ड न. 02	47/ 02/02/2023	चोधरी ट्रेडर्स	रेता गटका बजरी	8731
30.	SDP	09 06/23	निर्माण शमशान घाट वार्ड न 4/5	02 02.04.2023	चौधरी ट्रेडर	बजरी, रेत , गटका	14983
31.	VKVNY	28 11/23	नि गली लिंक रोड से शक्ति चन्द के घर तक	11 21.03.2023	चौधरी ट्रेडर	गटका रेत बजरी रेत क्रेशर	22598
32.	VKVNY	33 11/23	नि० पुली शक्ति चन्द के	12	चौधरी	गटका	9198

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karmpur
Block Haroli, Distt. Una (H.P)

-29

			घर के पास	20.10.2023	ट्रेडर	बजरी	
33.	सभा निधि	37 11/23	नि० पुली शक्ति चन्द के घर के पास	13 31.10.2023	चौधरी ट्रेडर	रेत	3244
34.	SDP	22 09/23	नि०रास्ता लिंक रोड से प्रेम चन्द के घर तक	119 01.07.2021	ठाकुर ट्रेडर	बजरी	9880
35.	Relief	23 06/21	नि०रास्ता लिंक रोड अर्जुन के घर तक	149 20.06.2021	ठाकुर ट्रेडर	बजरी	7410
36.	Relief	78 03/24	रिपेयर रास्ता लिंक रोड से विक्रम के घर तक	19 20.02.2024	चौधरी ट्रेडर	गटका रेत बजरी रेत क्रेशर	16180
37.	Relief	67 3/24	रिपेयर रास्ता कश्मीरी के घर से सोहन के खेत तक	15. 01.02.2024	चौधरी ट्रेडर	गटका रेत बजरी	22344
38.	RGSA	51 01/2024	निर्माण CSC	14 29/12/23	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी	8085
39.	RGSA	61 2/2024	निर्माण CSC	16 3/2/2024	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी	3549
40.	15th FC	15 4/24	नि नाला जीवन के घर से तरखान मो० तक	01 12.03.2023	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी	21375
41.	15th FC	34 8/2023	नि गली मधन लाल के घर से जीत राम तक	10 1.08.2023	चौधरी ट्रेडर	गटका रेत बजरी रेत क्रेशर	13398
42.	15th FC	51 9/2023	नि शेड नजदीक समुदायक भबन वार्ड न 6	06 4.08.2023	चौधरी ट्रेडर	गटका रेत बजरी रेत क्रेशर	18711
43.	15th FC	59 11/2023	नि सीबरेज डगा राम कुमार के घर से तरखान मो० तक	08. 30.9.2023	चौधरी ट्रेडर	रेत बजरी	12222
44.	15th FC	75 3.2024	नि महिला शोचालया शमशान घाट वार्ड न 6	18. 10.12.2023	चौधरी ट्रेडर	गटका रेत बजरी	11172
					TOTAL		591564.5

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karmpur
Block Haroli, Distt. Una (H.P)

परिशिष्ट 'च' पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत कर्मपुर
विकास खण्ड हरोली जिला ऊना हि० प्र०

वित्तीय बर्ष 2022-23 मे चौधरी ट्रेडर्स को भुगतान की गई राशि का विवरण :- Sand, Agg.

क्र० स०	मद का नाम	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST को छोड़कर)
1.	MGNREGA	15	15/12/2021	15000
2.	MGNREGA	16	15/12/2021	13800
3.	MGNREGA	01	03/01/2022	32550
4.	15th FC	28	15/07/2022	8316
5.	15th FC	29	15/07/2022	20790
6.	15th FC	033	16/08/2022	4258
7.	15th FC	36	02/09/2022	14872
8.	15th FC	37	29/08/2022	9314
9.	15th FC	38	05/08/2022	6686
10.	15th FC	43	20/12/2022	4960
11.	15th FC	48	02/01/2022	38022
12.	SBM	39	02/09/2022	15168
13.	SBM	00	02/09/2022	7350
14.	15th FC	00	23/03/2022	3700
15.	15th FC	00	16/07/2022	14300
16.	15th FC	00	15/08/2022	12250
17.	15th FC	00	25/08/2022	29540
18.	15th FC	00	27/08/2022	32000
19.	15th FC	00	08/08/2022	1500
20.	15th FC	00	08/08/2022	1215
21.	15th FC	00	22/12/2022	3250
22.	15th FC	00	03/01/2023	8250
23.	PLANING	00	12/05/2022	13600
24.	PLANING	00	07/05/2022	15290
25.	PLANING	00	01/06/2022	6900
26.	PLANING	00	18/07/2022	11050
27.	PLANING	00	02/06/2022	16400
28.	PLANING	00	06/08/2022	14280
29.	PLANING	00	01/07/2021	7635
30.	PLANING	00	01/06/2021	8910
31.	PLANING	00	01/05/2021	3000
32.	PLANING	00	01/11/2022	10700
33.	PLANING	00	31/01/2022	5100
34.	PLANING	00	12/02/2022	750

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karmpur
Block Haroli, Distt. Una (H.P.)

35.	PLANING	00	13/09/2022	900
36.	SF	30	04/07/2022	4956
37.	SDP	41	01/11/2022	5720
38.	SDP	46	12/02/2023	2528
39.	SDP	31	05/06/2022	28846
40.	VKVNY	44	15/09/2022	3326
41.	MMGPY	24	05/05/2022	32432
42.	MMGPY	26	02/06/2022	5788
43.	RELIEF	35	05/08/2022	28341
44.	RELIEF	45	26/01/2023	25590
			Total	**549133**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karmpur
Block Haroli, Distt. Una (H.P)

कार्यालय ग्राम पंचायत कर्मपुर

विकास खण्ड हरोली जिला ऊना हि० प्र०

वित्तीय बर्ष 2022-23 मे ओम इंस्ट्रीस को भुगतान की गई राशि का विवरण :- R.C.C. Pipes-

क्र० स०	मद का नाम	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST को छोड़कर)
1.	MGNREGA	314	17/05/2022	37500
2.	MGNREGA	315	17/05/2022	37500
3.	MGNREGA	316	17/05/2022	37500
4.	MGNREGA	317	17/05/2022	7500
5.	MGNREGA	375	02/03/2022	37500
6.	MGNREGA	376	02/03/2022	22500
7.	MGNREGA	377	10/03/2022	38250
8.	MGNREGA	378	10/03/2022	38250
9.	MGNREGA	379	10/03/2022	38250
			Total	294750

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Karmpur
Block Haroli, Distt. Una (H.P.)

कार्यालय ग्राम पंचायत कर्मपुर

विकास खण्ड हरोली जिला ऊना हि० प्र०

वित्तीय बर्ष 2023-24 मे M/s Gagan & Brothers को भुगतान की गई राशि का विवरण :-

क्र० स०	मद का नाम	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST को छोड़कर)
1.	MGNREGA	730	15/01/2023	22932
2.	MGNREGA	792	09/02/2023	22442
3.	MGNREGA	795	09/02/2023	23814
4.	MGNREGA	1188	30/05/2023	26264
5.	MGNREGA	1330	05/07/2023	18326
6.	MGNREGA	1331	05/07/2023	26460
7.	MGNREGA	1332	05/07/2023	19502
8.	MGNREGA	1441	07/07/2023	41258
9.	MGNREGA	1442	07/07/2023	41258
10.	MGNREGA	1443	07/07/2023	40964
11.	MGNREGA	1444	07/07/2023	40964
12.	MGNREGA	1445	07/07/2023	40964
13.	MGNREGA	1446	10/07/2023	41258
14.	MGNREGA	1447	10/07/2023	41258
15.	MGNREGA	1448	10/07/2023	40964
16.	MGNREGA	1449	10/07/2023	40964
17.	MGNREGA	1450	10/07/2023	23128
18.	MGNREGA	1605	17/08/2023	19786.2
19.	MGNREGA	1606	17/08/2023	22059.8
20.	MGNREGA	1607	17/08/2023	28498.4
21.	MGNREGA	1604	17/08/2023	20580
22.	MGNREGA	1719	05/09/2023	25480
23.	MGNREGA	2089	15/09/2023	6768
24.	MGNREGA	2094	07/01/2024	6768
25.	PLANING	1542	06/08/2023	12711
26.	PLANING	2095	08/01/2024	26970
27.	PLANING	2410	10/03/2024	41178
28.	15TH FC	1436	10/07/2023	41258
29.	15TH FC	1437	10/07/2023	41258
30.	15TH FC	1438	12/07/2023	40964
31.	15TH FC	1439	12/07/2023	40420
32.	15TH FC	1440	14/07/2023	40320
33.	15TH FC	1720	22/08/2023	28000
34.	15TH FC	1882	25/10/2023	8820
35.	15TH FC	2096	02/01/2024	10252
			Total	1014811

...yat Secretary

... HarolI, Distt. Una (H.P.)